संचिका सं0–10 / पद सृजन–20–03 / 2018............1171(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक–27 / 02 / 2019

विषयः–स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त एक–एक चिकित्सा पदाधिकारी अर्थात् कुल 2772 पदों का सृजन।

आदेशः स्वीकृत ।

राज्य में चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से हेल्थ एण्ड वेलनेंस सेन्टर के रूप में क्रियाशील किया जाना है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु एक सामान्य चिकित्सक एवं एक आयुष चिकित्सक का पद अनुमान्य है। वर्त्तमान समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार हो रहे हैं, जिसके लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत होगी। एतद् आलोक में कुल 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु इतने ही चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजन किया जाना आवश्यक है।

2. फलतः कुल 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सृजित किये जाने वाले चिकित्सा पदाधिकारी (2772 पद) की विवरणी निम्नवत् है:–

क्रम सं0	पदनाम	2772 अति०प्रा०स्वा0० केन्द्रों हेतु सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतन स्तर
1	2	3	4
1	चिकित्सा पदाधिकारी (एम०बी०बी०एस०)	2772x1=2772	level-9

D:\DEP-10\Amrendra Kr\Rajayadesh & Awanatanadesh doc\Rajaya...... & Awantan (2018-19)\2772 APHC Doctor.doc

3. इन सृजित किये जाने वाले पदों पर कुल रु0 1,99,38,77,424/– (एक अरब निन्यानवें करोड़ अड़तीस लाख सतहत्तर हजार चार सौ चौबीस रुपये) मात्र का वार्षिक व्यय भार आकलित किया गया है (व्यय विवरणी संलग्न)।

4. सृजित किये जाने वाले इन पदों पर होने वाले व्यय का वहन माँग संख्या–20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष–0001 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विपत्र कोड–20–2210031030001, अन्तर्गत विषय शीर्षों में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

5. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायगी।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें।

7. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायगी।

8. इन पदों के सृजन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

9. संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 1171(10) /स्वा0, पटना, दिनांक–27/02/2019

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–01.02.2019 में मद संख्या–26 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहरी/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2 एवं 7, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

D:\DEP-10\Amrendra Kr\Rajayadesh & Awanatanadesh doc\Rajaya...... & Awantan (2018-19)2772 APHC Doctor.doc